रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939
No. 75] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

(आयकर)

का.आ. 93(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राज़ील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय एवं प्रोटोकॉल, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे, उसके संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर ब्राज़ीलिया में 15 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसाकि इस अधिसूचना के संलग्न अनुबंध में दिया गया है और जिसे इसके बाद संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है;

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल 6 अगस्त, 2017 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने की अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के बाद का तीसवां दिन है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उपर्युक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 6 अगस्त, 2017 से लागू होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और
वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार

और

ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार

के

बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोतोकोल
जिस पर दिनांक 26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और वित्तीय अपवंचन रोकने के लिए अभिसमय, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे (इसके बाद कथित अभिसमय कहा गया है), को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि ब्राजील के मामले में केवल संघीय करों पर लागू होता है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य ऐसे प्रयोग को लिखित रूप से प्राधिकृत करे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते है कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद - II

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा। यह प्रोतोकोल, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन बाद लागू होगा तथा यह उस दिन से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद - III

यह प्रोतोकोल, जो इस अभिसमय का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा, जब तक कि यह अभिसमय लागू रहेगा और तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह अभिसमय प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्राजीलिया में वर्ष 2013 के अक्तूबर माह के 15 तारीख को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी तीन पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की	**ब्राजील परिसंघीय गणराज्य**
सरकार की ओर से	**की सरकार की ओर से**
अशोक तोमर	**कार्लोस बरेटो**
ब्राजील में भारत के राजदूत	**सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल रिवेन्यू ऑफ ब्राजील**

[फा. सं. 500/101/2016 एफटी एंड टीआर-V]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव